कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन

क्रमांक :- लेखा / देव / 2024/366

दिनांक :- 13-2-2:25

# ई-टेंडर/सीलबन्द निविदा सूचना संख्या : 04 - वर्ष 2024-25

इस विभाग के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री कुशल विहारी जी, वरसाना की खुली भूमि पर पार्किंग एवं केंटिन व राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मंदिर श्री राधामाधव जी, वृन्दावन की केंटिन वार्षिक आधार पर 1 (एक) वर्ष की अवधि के लिए अस्थाई रूप से किराये पर निम्नानुसार ई-वोली आमंत्रित की जाती है -

-	אויוואנו או טוונוו פ				with the same of t	-		
क्र.	खुली भूमि /पार्किंग स्थल का विवरण	अनुमानि		निविदा शुल्क	बोली प्रतिभूति	ई-बोली		
₹.		(आरक्षित मूल्य)		(रूपये में)	ड्रापट(रूपयों में अनुमानित	प्रक्रिया पुल्क		
					मूल्य का २ प्रतिपत))	रु. में		
1	2	3		4	5	6		
1.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कुशल	1,28,09,0	00/-	2000/-	256180/-	1500/-		
	बिहारी जी, बरसाना पार्किगं ठेका	रु						
	(ई-टेण्डर)	``	,					
	(4 0 01)					- 101		
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री कुशल	43,05,00	00/-	1000/-	86100/-	1000/-		
	बिहारी जी, बरसाना केंटिन ठेका	40,00,00 राज						
	(ई–टेण्डर)	(1)(	,					
3.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री	4 40 050	/	500/-	2859/-	_		
0.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1,42,950		300/-	2000/-			
	राधामाधव जी, वृन्दावन केंटिन ठेका	रू(	)					
	(सीलबन्द निविदा)			2.3				
बिड	बिड संख्या UBN NO. , UBN NO.							
बोली दस्तावेज डाउनलोड करने की तिथि एवं समय दिनांक 17.02.2025 को सायं 6 बजे से दिनांक 04.03.2025								
सायं ६ बजे तकं (ऑनलाईन वेबसाईट द्वारा)								
ऑन	ऑनलाईन निविदा जमा कराने की तिथि एवं समय दिनांक 17.02.2025 को सायं 6 बजे से दिनांक 04.03.2025							
	सायं ६ बजे तक (ऑनलाईन वेबसाईट द्वारा)							
बोली / निविदा शुल्क, बोली प्रतिभूति, प्रोसेसिंग फीस के दिनांक 05.03.2025 समय दोपहर 12.00 बजे तक						तक		
डीडी प्रस्तुत करने की अन्तिम दिनांक एवं समय					आयुक्त देवस्थान विभाग,	1		
	निय में)	, , , , , ,	पगपाराप	, (10194)	0119401 44 (31) 1 14 11 1,	5 41.1		
	तकनिकी विड ऑनलाईन खोले जाने की दिनांक एवं 05.03.2025 समय दोपहर 03.00 बजे							
	•	4.1147 34	कार्यालय ;-सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन					
समय			कायालय	,-सहायक आर्	पुक्त दवस्थान विमाग, वृ	न्दावन		

देवरथान विभाग वृन्दावन

on aliste on & year

कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,वृन्दावन क्रमांक :- लेखा/देव/वृन्दा/2024/ 307

# खुली बोली सूचना

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राधा माधव जी, वृन्दावन की केंटिन ठेका वर्ष 2025–26 के लिए अरथाई रूप से किराये पर देने हेतु बोली पंजीकृत एवं समकक्ष निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in तथा htpp:// sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है ।

> सहारक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन

El you

# कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,वृन्दावन

क्रमांक :- लेखा/देव/वृन्दा/2024/ 307

दिनांक :- 13-2-2025

# खुली बोली सूचना

कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन के अधीन राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राधा माधव जी, वृन्दावन की केंटिन ठेका वर्ष 2025—26 के लिए अस्थाई रूप से किराये पर देने हेतु बोली पंजीकृत एवं समकक्ष निविदादाताओं से निर्धारित प्रपत्र सील बंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है । निविदा से संबंधित विवरण वेबसाईट www.devasthan.rajasthan.gov.in तथा htpp:// sppp.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है ।

सहायुक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन

क्रमांक :- लेखा/देव/वृन्दा/2024/329 दिनांक :+3-2-2-25 प्रतिलिपि : निम्नलिखित को वास्ते सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित/प्रस्तुत

- 1. श्रीमान आयुक्त,देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर को दी जाकर निवेदन है कि उक्त निविदा को विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराने का श्रम करावे।
- 2. श्रीमान संभागीय आयुक्त संभाग, भरतपुर।

3. श्रीमान् जिला कलक्टर, भरतपुर ।

- 4. श्रीमान प्रशासक एवं सिटी मंजिस्ट्रेट महोदय, मथुरा को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत।
- 5. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, भरतपुर (आयुक्तालय प्रतिनिधि) को निवेदन है की बोली प्रक्रिया में उपस्थित होकर सम्पन्न करावे।
- 6. उप खण्ड अधिकारी / तहसीलदार मथुरा / छाता को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने बाबत।

7. श्रीमान् कोषाधिकारी, भरतपुर् I

- 8. श्रीमानं सहायकं आयुक्तं देवरथान विभाग उदयपुर/अजमेर/भरतपुर/जोधपुर/ ऋषभदेव/कोटा/बीकानेर/हनुमानगढ/जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय
- 9. निरीक्षक कार्यालय हाजा

10. केशियर कार्यालय हाजा।

- 11. प्रबंधक देवरथान विभाग बरसाना / वृन्दावन / मथुरा को प्रेषित कर लेख है की उक्त विज्ञप्ति को मंदिर एवं सार्वजनिक स्थलों पर चस्पा कर अवगत करावे।
- 12. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

Dan who

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वन्दावन

ear

#### शर्ते:-भाग अ

- <mark>1. यह निविदा⁄बोली वेबसाइट www. sppp.rajasthan.gov.in तथा विभागीय वेबसाइट www.</mark> devsthan.rajasthan.gov.in पर देखी / डाउनलोड की जा सकती है।
- 2. उपरोक्त सारणी के कॉलम 4 व 5 में दर्शाई गई बोली शुल्क व धरोहर राषि के अलग–अलग डी.डी. सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग,वृन्दावन के नाम भूगतान योग्य बनवानी होगी । निविदा/वोलीदाता द्वारा बोली शुल्क एवं धरोहर राशि के मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट निर्धारित दिनांक एवं समय तक अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में निविदा दस्तावेज मय राशि के व्यक्तिगत रूप से जमा कराने आवश्यक है।
- 3. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- 4. निर्धारित दिनांक को बोली खोलने के उपरान्त प्रस्तावित दर पर कार्य में असमर्थता या दर में संशोधन स्वीकार्य नहीं होगा। ऐसा होने पर धरोहर राशि जब्ति/शास्ति एवं आगामी बोली से वंचित/अयोग्य आदि की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- 5. शर्तयुक्त बोली / निविदा दर मान्य नही होगी।
- 6. बोली की अन्य शर्ते / विवरण की जानकारी किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय मे प्राप्त की जा सकती है।
- 7. बोली रवीकृति की सूचना उपरान्त सात दिवस में अनुबन्ध तहरीर कर अनुबन्ध निष्पादन करना होगा । अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। ठेके की स्वीकृति की सूचना देते ही 7 दिवस में ठेकेदार को 500 रूपयें के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्ती की कार्यवाही की जाकर आपकी बोली निरस्त कर दी जावेगी ।
- 8. ठेकेदार द्वारा एम. आर. पी. / निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल नहीं की जावेगी । इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर प्रथम शिकायत पर 2500/- रूपये एवं द्वितीय शिकायत पर 5000/- रूपये पेनेल्टी लगाई जावेगी व तीसरी शिकायता पर 10000/-रू पेनल्टी एवं संवेदक का ठेका निरस्त करने की कार्यवाही किसी भी स्तर पर की जा सकती हैं (यथा प्रथम शिकायत, द्वितीय शिकायत, तृतीय शिकायत) केंटिन ठेकेदार द्वारा केंटिन की सीमा से बाहर कोई भी दूकान रेहडी पटटा उठाउ पल्ली आदि नहीं लगाई जावेगी ।
- केंटिन स्थल पर पानी,बिजली जनरेटर व फैंसिंग की समस्त व्यवस्थाएँ ठेकेदार को अपने स्तर पर करनी होगी।
  - 10. निर्धारित केंटिन स्थल को ठेकेदार सिर्फ केंटिन कार्य हेतुं काम में लेगा उसका अन्य किसी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में उपयोग नहीं कर सकेगा ।
  - 11. ठेकेदार को केंटिन स्थल पर निजी खर्च पर बोर्ड लगाना होगा जिस पर शुल्क आदि का विवरण अंकित करना होगा बोर्ड नहीं लगाने की स्थिति में ठेकेदार पर पेनेल्टी लगाई जावेगी ।
  - 12. ठेका वित्तिय वर्ष 2025–26 में जिसकी अवधी दिनांक 31.03.2026 तक रहेगी। दिनांक 31.03.2026 को ठेका स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिसको आवश्यकता पड़ने पर नियमानुसार बढाया जा सकेगा ।
  - 13. अधिकतम बोली / सर्वाधिक लाभप्रद बोली को स्वीकृत किया जायेगा।



- 14. इस कार्य के सवंधित कर्मचारी के प्रति अनुबंधकर्ता स्वयं भवष्यि निधि अधिनियम 1952 एवं समय—समय पर संशोधित नियमों की पालना करने के लिए उत्तरदायी हैं, यदि नियमानुसार भविष्य निधि अधिनियम लागू है तो।
- 15. अनुबंधकर्ता सभी कर्मचारियों / श्रमिकों जिसे उसने इस कार्य हेतु लगाया है के लिए जिम्मेवार होगा और सारे इक्वीपमेंन्ट जो उसके इस कार्य को करने हेतु उपयोग में लिया है के प्रति भी वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
- 16. अनुबन्धकर्ता को कार्य वर्तमान में लागू सभी मान्य अधिनियम, नियम एवं उप नियम के अन्तर्गत कराना होगा।
- 17. वस्तु एवं सेवाकर (GST) रिजस्ट्रेशन न होने कि स्थिति में बोली दाता द्वारा 100 रूपये के स्टाम्प पर निर्धारित प्रारूप में मूल शपथ पत्र तकनिकी निविदा दस्तावेजों के साथ कार्यालय जमा कराना अनिवार्य है, इसके अभाव में निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। शेष शर्ते बोली दस्तावेज के अनुसार यथावत रही रहगी।

### शर्तेः-भाग ब


18. सवेंदक द्वारा प्रस्तुत विभिन्न अनिवार्य पंजीकृत प्रपत्र -

क.स.	विवरण	सलंग्न क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.)	
	,	
2	आधार कार्ड नंबर	
	n l	
3.	पैन नम्बर	
4	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958	
	या	
	इण्डियन पार्टनरिषप एक्ट 1932 के अन्तर्गत	
	या	
	इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत	
	( लागू होने की स्थिति में )	

निविदादाता के हस्ताक्षर

#### शर्ते भाग स -


- 1. निविदा शुल्क राशि रूपये 500/— **(सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन)**, धरोहर राशि रूपय 2859/— **(सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन)**, एवं घोषण प्रपन्न वांछित राशि की डी के साथ दिनांक 05.03.2025 को दोपहर 12 बजे तक कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग (राजस्थान सरकार) वृन्दावन, मथुरा में जमा करवाना होगा।
- 2. बोलीदाता की पात्रता व आर्थिक रिथिति :— बोलीदाता आपराधिक पृष्ठ भूमि का नहीं होना चाहिये। किसी तथ्य अथवा सूचना को छिपाने या गलत रूप में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
- 3. यदि कोई साझेदारी फर्म/कम्पनी बोली लगाती है तो बोलीदाता फर्म को बोली लगाते समय रिजस्ट्रर्ड साझेदारी संलेख एवं सम्बंधित दस्तावेज प्रस्तुत/अपलोड करनी होगी, अन्यथा बोली मे भाग नहीं ले सकती।



- 4. जिस व्यक्ति/साझेदारी/कम्पनी फर्म के नाम अधिकतम वोली प्रस्ताव स्वीकृत होगा उसको धरोहर राशि के रूप में 25 प्रतिशत राशि अग्निम की रापि उसी दिन जमा करानी होगी अन्यथा वोली प्रतिभूति जब्त कर ली जाएगी । वोली स्वीकृत होने पर 75 प्रतिशत राशि 07 दिवस के अन्दर जमा करानी अनिवार्य होगी। ठेका राशि जमा नहीं कराने पर अमानत राशि जब्त करली जावेगी एवं 25 प्रतिशत राशि जमा कराने के बाद शेष राशि जमा नहीं कराने पर, अमानत एवं 25 प्रतिशत राशि जब्त करली जावेगी तथा ठेका निरित्तकरण के संबंध में कार्यवाही विभाग द्वारा अमल में लाई जावेगी।
- 5. अधिकतम बोलीदाता की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव आयुक्त देवस्थान विभाग उदयपुर को प्रेषित किये जाएगे। आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर से स्वीकृति प्राप्त होने तक बोलीदाता को इन्तजार करना होगा। यदि यह स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है तो बोलीदाता अपनी बोली प्रतिभूति व अग्रिम जमा राशि बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता हैं। इस अविध के इन्तजार नहीं किये जाने पर या संपदा की जरूरत नहीं होने पर बोलीदाता संपदा किराये पर नहीं लेना चाहे तो बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई अग्रिम राशि मय बोली प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा। जिसमें बोलीदाता किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं कर सकेगा।
- 6. अधिकतम बोलीदाता के नाम सपंदा निर्धारित राशि पर देने की स्वीकृति होने पर जिरये पत्र उनको सूचित किया जाएगा कि वह आकर संपदा का नियमानुसार कब्जा प्राप्त करें। यदि उक्त पत्र अधिकतम बोलीदाता द्वारा नहीं लिया जाएगा, तो उसके द्वारा सूचित मोबाईल नम्बर, ई—मेल आई.डी. पर सूचना प्रेषित करते हुए पत्र संपदा पर चस्पा कर दी जाएगी तथा विभागीय वेबसाईट पर डाल दिया जाएगा। फिर भी पत्र में वर्णित अविध में संपदा का कब्जा प्राप्त नहीं किया गया, तो यह मान लिया जाएगा कि वह संपदा किराये पर नहीं लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा जमा कराई गयी अग्रिम धरोहर राशि जब्त करके संपदा पुनः ठेके पर दिये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- 7. केंटिन संपदा ठेके पर देने की सक्षम स्वीकृति की सूचना अधिकतम बोलीदाता को मिलने के पश्चात् 7 दिन के अन्दर उसे अनुबंध पत्र निष्पादित करना एवं शेष 75 प्रतिशत राशि को जमा करना आवश्यक होगा तथा निर्धारित अविध में अनुबंध पत्र निष्पादित नहीं करने एवं बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने पर उसका अधिकतम बोलीदाता के रूप में हक समाप्त हो जाएगा तथा उसकी बोली प्रतिभूति राशि मय अग्रिम जमा राशि जब्त हो जावेगी एवं विभाग पुनः नयी बोली कर सकेगा अथवा केंटिन संपदा का उपयोग अन्य विकल्प के रूप में कर सकेगा। अनुबंध पत्र लिखने पर ही संपदा का कब्जा सुपर्द किया जावेगा। अनुबंध पत्र बोलीदाता को खंय के खर्चे से कराना होगा।
- 8. <u>अनुबंधकर्ता को उक्त ठेके की राशि के अनुरूप दी जाने वाली निर्धारित आयकर राशि जीएसटी आदि, का भुगतान स्वयं करना होगा तथा इस प्रकृति के कार्यों के सम्बन्धित समस्त कर/शुल्क इत्यादि का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता का होगा।</u>
- 9. अनुबंधकर्ता द्वारा बिजली पानी इत्यादि का कनेक्शन विभाग की अनुमित से स्वयं के खर्चे पर लेना होगा तथा सम्बन्धित बिल का भुगतान स्वयं ही करना होगा। अनुबंध समाप्ति के समय अनुबंधकर्ता को नो ड्यूज प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उससे बकाया राशि वसूली के साथ—साथ दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। अनुबंध अविध के दौरान यदि समय पर उक्त राशि का भुगतान नहीं पाया गया, तो भी उससे राशि वसूली के साथ—साथ दंडात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।
- 10. यदि अनुबंधकर्ता निर्धारित समय पर संपदा रिक्त नहीं करता है या उसकी सम्पत्ति को क्षिति पहुंचाता है या बोली की शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी धरोहर राशि जब्त करते हुए उसके विरुद्ध विधि अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 11. यदि विभाग की अनुमित के पश्चात् भी अगर नगर निगम या राज्य सरकार द्वारा नियमों के प्रावधानों के कारण आपित्ति व्यक्त की गई तो इस संबंध में सम्पदा संबंधी प्रावधानों एवं नियमों का अवलोकन कर उचित निर्णय लिया जाएगा तथा किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। बोलीदाता अनुवंधकर्ता द्वारा कारित त्रुटि के लिए स्वयं उत्तरदायी होगा।



- 12. अनुबन्ध पत्र में वर्णित किसी भी शर्त का उल्लघंन करने पर अनुबंधकर्ता के विरूद्ध केंटिन संपदा से बेदखल करने हेतु देवस्थान विभाग द्वारा कार्यवाही की जाकर केंटिन संपदा की वकाया राशि की वसूली एवं कब्जा वापस लेने की कार्यवाही की जा सकेगीं।
- 13. ठेकें की अविध में अनुबंधकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में लीज का अनुबन्ध स्वतः समाप्त हो जाएगा एवं विभाग केंटिन संपदा का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
- 14. ठेके राशि का देय होना:—प्रस्तावित नीति के अन्तर्गत बोली में देय राशि के अनुसार 25 प्रतिशत की अनुमोदित ठेके राशि अग्रिम रूप देय होगी। बोली रवीकृत होने पर 75 प्रतिशत राशि सात दिवस में जमा करानी होगी।
- 15. केंटिन की व्यवस्था संबंधी प्रावधान:-
  - (1) संपदा जैसी रिथित में हो, वैसी रिथित में दी जाएगी एवं लीज समाप्ति पश्चात् जिस रिथित में सुपुर्द की गयी थी, उसी रिथित में विभाग को वापस सुपुर्द करनी होगी। विभाग किसी प्रकार की मरम्मत परिवर्तन आदि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग द्वारा अनुबंधकर्ता को समंलाई जाने वाली सामग्री की लिखित सूची प्रदान की जाएगी, जिसे उसे अच्छी रिथित में वापस करना होगा। इसमें कन्ज्यूमेबल आईटम्स की पृथक् से सूची बनायी जा सकेगी, जिसे वेव—ऑफ किया जा सकेगा। (2) केंटिन संपदा में अनुबंधकर्ता किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवर्धन विभाग की बिना अनुमित के नहीं करायेगा। संपदा की साधारण रंगाई, सफेदी, एवं मरम्मत आदि विभाग की स्वीकृति पर अनुबंधकर्ता खंय के व्यय पर करायेगा। अनुबंधकर्ता को सम्पदा की समुचित साफ—सफाई के साथ—साथ परिसर में वृक्षारोपण/गमले में फूल लगाने और उनकी देखभाल की व्यवस्था करनी होगी। आवश्यकतानुसार रूफ वाटर/रेन वाटरहार्वेरिटंग की सुविधा उसकी स्वयं की लागत पर विकसित करने की सुविधा दी जा सकेगी।
- 16. राज्य सरकार (उत्तरप्रदेश) द्वारा कोरोना महामारी अथवा अन्यथा लॉकडाउन लगाकर धार्मिक स्थलों को बन्द किया जाता है तो इस अवधि (मंदिर बंद रहने की अवधि) के अनुपातिक अवधि में ठेका अवधि को बढाया जा सकेगा।
- 17. देवरथान विभाग वृन्दावन के अधिकारी द्वारा किसी भी समय सम्पदा और उसके संचालन का निरीक्षण किया जा सकेगा। त्रुटि पाए जाने पर उसे नोटिस देते हुए यथा आवश्यक अनुबंध निरस्त करने अथवा शास्ति लगाने या दोनो की कार्यवाही की जा सकेगी।
- 18. बोलीदाता को संबंधित विभाग से वांछित लाईसेंस स्वयं प्राप्त करना होगा तथा कक्ष में उसे प्रदर्शित करना होगा।
- 19. आकिस्मिक कार्यो यथा बाढ राहत, चुनाव, महामारी,मेला आदि की दशा में परिसर संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा अस्थाई रूप से अधिगृहीत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा
- 20. अनुबंध पत्र के निष्पादन में देय स्टॉम्प-शुल्क और जो भी व्यय होगा, उस सारे व्यय की राशि अदा करने का दायित्व ठेकाधारक का होगा।
- 21. अनुबंधकर्ता सम्पदा मे किसी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन अथवा केंटिन की सुविधार्थ साज सज्जा हेतु सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन से अनुमित प्राप्त कर कार्यवाही कर सकेगा।
- 22. ठेका अवधि को नियमानुसार आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
- 23. अनुबंधकर्ता को सम्पदा के साईनबोर्ड के ऊपर स्पष्ट रूप से देवस्थान विभाग वृन्दावन द्वारा निर्धारित न्यूनतम साईज की पट्टी पर देवस्थान विभाग राजस्थान सरकार की सम्पदा अंकित करना आवश्यक होगा। देवस्थान विभाग द्वारा सम्पदा का समुचित नामकरण किया जा सकेगा।
- 24. विभाग द्वारा सम्पदा जैसी भी स्थिति में है अनुबंधकर्ता को सुपुर्द की जायेगी, विभाग किसी प्रकार की मरम्मत एवं परिवर्तन आदि के लिये उत्तरदायी नहीं होगा।
- 25. संवेदक केंटिन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय केंटिन स्थल पर नहीं करेगा।
- 26. संवेदक परिसर में किसी अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देगा अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 27. देवरथान विभाग अपनी विभागीय प्रचार सामग्री व सुविधा संपदा में रख सकेगा तथा उसको संवेदक को विना वाधा के सम्पदा में सदृश्य रूप में लगाना होगा।





- 28. विभाग की उक्त वर्णित संपदा एवं आस—पास रिथत विभाग की अन्य संपदा को संवेदक किसी भी प्रकार की हानि नही पहुंचाएगा तथा संपदा को सुरक्षित रखेगा। संवेदक राज्य सरकार अथवा देवस्थान विभाग वृन्दावन द्वारा वनाई विभागीय नीति से वाध्य रहेगा। राज्य सरकार एवं सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग वृन्दावन द्वारा ठेका पर दिये जाने की स्वीकृति मे यदि समय की आवश्यकता के अनुसार अन्य कोई शर्त शामिल की जाएगी तो उनसे संबंधित सवेदक वाध्य होगा।
- 29. राज्य सरकार या नगर निगम, नगर विकास न्यास/नगर विकास प्राधिकरण द्वारा यदि सम्पदा पर कोई शुल्क या कर लगाया जाता है, तो संवेदक को ठेके की राशि के अतिरिक्त उसका भुगतान करना होगा।
- 30. संपदा में बोली के उपरान्त किसी अन्य व्यक्तियों को साझेदार अथवा उप अनुवंधकर्ता नहीं रखेगा। साथ ही उसका उप किरायेदार मान्य नहीं होगा। यदि संवेदक ने शर्तों की अवहेलना की तो ठेका निरस्त करते हुए नियमानुसार बेदखली की कार्यवाही विभाग की ओर से कर दी जाएगी।
- 31. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन आवश्कतानुसार सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अध्यधीन बोली की शर्ते राज्य सरकार की पूर्वानुमित से जोड / हटा सकते हैं।
- 32. संवेदक के लिये कार्य करने वाले उसके कर्मचारियो पर श्रम विभाग की सभी शर्ते लागु होगी जिसे संवेदक को मानना बाध्यकारी होगा।
- 33. इस निविदा बाबत कोई भी अंतिम निर्णय उपापन समिति / सक्षम अधिकारी के अध्यधीन होगा।
- 34. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान इस निविदा पर लागू होते हैं।
- 35. केंटिन स्थल विभाग द्वारा चिन्हित स्थान पर रहेगा। इसके अतिरिक्त स्थान पर केंटिन सम्बंधी कार्य नहीं किया जाएगा।
- 36. केंटिन सम्बंधी समस्त व्यय ठेका लेने वाले को करने होगें विभाग द्वारा किसी भी व्यय की क्षतिपूर्ती नहीं की जावेगी। केंटिन स्थल से यात्रियों के सामान आदि की चौरी का ठेकेधार स्वयं जिम्मेवार होगा इस सबंध में विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। केंटिन का समय सुबह 5.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक रहेगा।
- 37. खाद्य प्रदार्थ की अच्छी क्वालिटी का सामान बेचना होगा। ठेकेदार को ब्रिकी की जाने वाली साम्रगी की सूची व दर का बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। खाद्य सामग्री के संबंध में जो भी लाईन्सेस आवश्यक होगें वह ठेकेदार को अपने स्तर पर लेने होगें।
- 38. उत्तर प्रदेश शासन द्वारा कैंटिन सम्बंधी कर ( यदि कोई हो) तो ठेका लेने वाले को वहन करने होगें।
- 39. मंदिर परिसर के बाहर किसी भी प्रकार की कोई भी दुकान लगाई जाती है तो विभाग की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी।
- 40. किसी भी प्रकार विवाद होने पर विधिक कार्यवाही (यदि उत्पन्न होती है तो ) हेतु वाद क्षेत्र राजस्थान राज्य सरकार से क्षेत्राधिकार जिला भरतपुर रहेगा।

6)N 21) 2) 2

a BL

हायक आयुक्त दैवस्थान विभाग वृन्दावन

## राजस्थान सरकार

# कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन

# बोली प्रपत्र

1	बिड आमंत्रित करने वाले विभाग	का नाम	सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन	
2	बिड का सन्दर्भ UBN (Unique bid number)			
3	कार्य का विवरण		ठेका केंटिन मंदिर श्री राधा माधव जी,	
			वृन्दावन	
4	ठेके की अनुमानित राशि		कुल 142950 /-रू० वार्षिक मूल्य	
5	बोलीदाता का विवरण			
	नाम मय पता			
	टेलिफोन न. मय एस.टी.डी कोड फेव			
	मोबाईल नम्बर एवं, ई–मेल आइडी			
	वैब साईट			
6	बिड प्रपत्र की लागत		त देवस्थान विभाग वृन्दावन के पक्ष में कैश	
	416		स चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं	
			देनांकराषि रूपयेर	
			का नाम(कैश	
			चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न	
7	बिड प्रतिभूति	करना होगा ) सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन के पक्ष में कैश		
'	विक असिमूरि	रसीद न./ईग्रास चालान नं./डी.डी. नं./बी.सी. नं		
			देनांकराशि रूपये	
		बैंक ब्रांच	का नाम(क्रेश	
	,	रसीद /ईग्रास	चालान /डी.डी. /बी.सी. मूल ही सलग्न	
		करना होगा )		
8	बिडर्स का पंजीयन सम्बन्धित	,	रसंस्था / फर्म / कार्पोरेट बॉडी / वैयक्तिक	
	विवरण	रूप से पंजीकृत	त आदि )	
	Constitution of the firm whether/proprietorship/			
	partnership/company			
	(a) In case of proprietorship	1		
	firm:-	पिता का नाम		
			: O_:_	
			एवं दिनांक ारी का पता	
		1	वता	
	(b) In case of partnership firm		4(1)	
	(a) in dada at partitioning initi			
		Of all the par	tners (Note-Enclose the Registration	
		certificate of	firms of its attested copy/ photocopy of	

our whole A BL Way

V		partnership Deed)
-		
	(c) In case of company ( Note-Enclose the	Name & Address of the all directors of the company पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक
	Registration certificate of	पंजियन अधिकारी का पता
	company)	पंजियन की वैद्यता
9	जी.एस.टी. आई.एन. पंजीयन क्रमांक	
10	आयंकर खाता संख्या एवं पेन नं.	
11	आधार कार्ड नम्बर	
12	बिडर के बैक खाते का विवरण	खाता संख्या
, .		बैक / ब्रांच का नाम
		आईएफएससी कोड
13	प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम ,पता,	
	फोन नं. एवं मेल आई डी	
14	बिडर का बायोडेटा	एनेक्सर पर संलग्न है

दिनांकः

हस्ताक्षर (बोलीदाता)

Of why

De St Ods

# कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, वृन्दावन

# वित्तीय बोली

### SCHEUDLE "H "

क्र.	मद	मद विवरण	अनुमानित राशि	बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित दर
सं.	संख्या		(आरक्षित मूल्य)	(अंको में / शब्दो में)
	e v			
1	1	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिर श्री राधा माधव जी, वृन्दावन (केंटिन)	142950 / — प्रति वार्षिक मूल्य	ý .
			,	,

नोट :- 1. समस्त प्रकार के करों यथा आयकर / जी.एस.टी. आदि का भुगतान सफल बोलीदाता द्वारा स्वय के स्तर से अतिरिक्त किया जायेगा।

2. प्रस्तावित दरे कर रहित होगी।

सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग वृन्दावन

बिडर के हस्ताक्षर मय दिनांक फर्म/कम्पनी का नाम

2/200

- EL G

ON

## <u>घोषणा पत्र</u> ( 50 रू. के स्टाम्प पर )

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि हमारी फर्म/इकाई/एजेन्सी/संस्था द्वारा जहां भी ठेका संचालन का कार्य किया हैं। उसमें विगत 3 वर्षो किसी भी कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लेक लिस्टेड नहीं किया गया हैं। हम यह भी घोषणा करते हैं कि हमे किसी भी न्यायालय द्वारा ठेका संचालन में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दिण्डत नहीं किया गया हैं।

मैं/हम घोषणा करता हुँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दी गई सूचना सत्य हैं यदि असत्य पाई जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समाप्त/जब्त कर दिया जाये तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया हैं, रद्ध कर दिया जाये। मेरे/हमारे द्वारा समस्त शर्ते एवं निविदा दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक पढ लिया गया हैं तथा हमें पूर्णतया स्वीकार हैं, जिसे हस्ताक्षर सहित उक्त आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत हैं।

हरताक्षर निविदादाता मय फर्म एवं स्वयं का पूर्ण नाम

डाक पता :
मोबाईल नं. :
फोन नं. :

on winder of BL

# <u>प्रमाण — पत्र</u> ( 50 रू. के स्टाम्प पर )

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, वृन्दावन के निविदा संख्य दिनांक द्वारा जारी किए गए मूल निविदा दस्तावेजो के
नियम व शर्तो को ध्यान पूर्वक पड लिया है। मैं उसमें उल्लेखित सभी प्रकार के नियम व शर्तों पर सहमत
हूँ तथा कार्योदेश मिलने पर केन्टीन सुव्यवस्थित एवं सुचारू रूप से चलाने के लिए बाध्य रहूंगा एवं 25
$\xi$ ((a) undight merrican series $\xi$ ((a) $\xi$ (a) $\xi$ (a) $\xi$ (b) $\xi$ (a) $\xi$ (b) $\xi$ (c) $\xi$ (c) $\xi$ (c) $\xi$ (d) $\xi$ (d) $\xi$ (d) $\xi$ (e) $\xi$
प्रतिशत राशि निविदा खोलने के समय एवं शेष राशि अनुमोदन होने के 7 दिवस में जमा कराने के लिए
बाध्य हूँ।
हस्ताक्षर निविदादाता मय फर्म एवं स्वयं का पूर्ण नाम
डाक पता :
मोबाईल नं. :
फोन नं. :
of whom The

# Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the (a)

not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or (b)

not include in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the other benefit or avoid an obligation. transparency, fairness and progress of the procurement process; (c)

not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process; (d)

not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process. (c)

not obstruct any investigation or audit of a procurement process. (1)

disclose conflict of interest, if any; and

disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during (g) the last three years or any debarment by any other procuring entity. (h)

### Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more i. parties in a bidding process if, including but not limited to:
- have controlling partners/shareholders in common; or
- receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or b.

have the same legal representative for purposes of the Bid; or

- have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts C. them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the e. Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of f. the Bid; or
- Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring g. Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

on white

# Compliance with the Code of integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall:

not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the (a)

not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or (b)

other benefit or avoid an obligation. not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process; (c)

not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process; (d)

- not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process. (e)
- not obstruct any investigation or audit of a procurement process. (f)

disclose conflict of interest, if any; and

disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during (g) the last three years or any debarment by any other procuring entity. (h)

### Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

- A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:
- have controlling partners/shareholders in common; or
- receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or b.

have the same legal representative for purposes of the Bid; or

- have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts C. them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another d. bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the e. Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the f. design or technical specifications of the Goods. Works or Services that are the subject of the Bid; or
- Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring g. Entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

on white and It

# Declaration by the Bidder regarding Qualifications

## Declaration by the Bidder

In relation	on to my/our Bid submitted to For procure	ement of
hereby	in response to their Notice Inviting Bids No	DatedI/We ocurement Act, 2012, that:
1. 2. 3. 4.	I/we possess the necessary professional, technical, financial ar competence required by the Bidding Document issued by the Pr I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes p State Government or any local authority as specified in the Bidd I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound administered by a court or a judicial officer, not have my/our b and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing I/we do not have, and our directors and officers not have, been offence related to my/our professional conduct or the mak misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a properiod of three years preceding of commencement of this procubeen otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings; I/we do not have a conflict of interest as specified in the A Document, which materially affects fair competition;	payable to the Union and the ling Document.  I up, not have my/our affairs reasons.  In convicted of any criminal ing of false statements or ocurement contract within a rement process, or not have
Date		Signature of bidder
Place		Name:
		Designation:
	Day On By	Address:

The designation and address of the First Appellate Authority is -

Assistant Commissiner Devasthan Department,

Vrindavan

The designation and address of the Second Appellate Authority is -

Commissiner Devasthan Department,

Udaipur

(1)

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of appeal. (2)

- If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the (3)Procuring Entity, as the case may be, may file second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority. as the case may be.
- No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, Appeal not to lie in certain cases namely:
  - determination of need of procumbent;
  - provisions limiting participation of Bidders in the bid process; (a)
  - the decision of whether or not to enter into negotiations; (b)
  - (c) cancellation of a procurement process; (d)
  - applicability of the provisions of confidentiality. (e)

An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many

A Cou

Cont-08( 21-22) dkWiksZjsV dk;kZy;] mn;iqj ij dSUVhu lapkyu gsrqA

15 of 37

DM 21/300 BL

copies as there are respondents in the appeal.

Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying (b)

the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate (c) Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

Fee for filing appeal (6)

Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non refundable.

The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of Scheduled (b)

Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

Procedure for disposal of appeal (7)

The first Appellate Authority or Second Appellate Authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and document, if any, to the respondents and fix date of hearing.

On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority. (b)

as the case may be, shall:-

(i) hear all the parties to appeal present before him; and

- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in (c) writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State Public (d)

Procurement Portal.

On 21, for Goy by By

# Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act,

1	2012	
Ap	peal No of	
Bef	Fore the(first/second Appellate Authority)	
1.	Particular of appellant:	
2.	<ul> <li>(i) Name of the appellant:</li> <li>(ii) Official address, if any:</li> <li>(iii) Residential address:</li> <li>Name and address of the respondent(s):</li> </ul>	
(i)		
(ii)		
(iii)		
3.	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/authority who passed the order (enclosed copy, or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:	· —
4.	If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:	
5. 6.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:  Ground of appeal:	
	Supported by an affidavit)	
7.	Prayer:	
	Place	
	Date	
	Appellant's Signature	

Dow

211392

A

Sil Van

# **AFFIDAVIT**

						2000
15 Sept. 10						
		Years	Resident	of		Or
1 40	enderer i.e. M					
ereby take oat	h and state as ı	ınder:				
			submitted	a	tender	for
That	I/We	have	submitted			
That the	e provisions of contractor). case during the Act, then I/v	THE EFT &	s & conditions of the MP Act are not applied to the contract, I/We conself/ourselves reg	under t	he nurview of the	ne EPF
					Dep	onent
				(	Authorised sign	atory)
		V	erification			
, the above me	ntioned deponentioned and i	ent make oath a no part of it is	nd state that my abo wrong and that notl	ve statemen ning materia	t is true and cor Il has been cond	rect to cealed.
	1.					
So help me god					170	oonent
So help me god				(		
So help me god					Authorised sign	
So help me god				( Authorised	Authorised sign	
So help me god			Nama 0	Authorised	Authorised sign Signatory) ation/ Relations	atory)
So help me god			Nama 0	Authorised	Authorised sign	atory)
So help me god  Dated:		)ne-	Nama 0	Authorised	Authorised sign Signatory) ation/ Relations	atory) ship of th

### AFFIDAVIT

of	on behalf of the tenderer i.e. hereby undertake oath and state as
M/s	
under:-	
(1)	I / We are not having or had any litigation with the Devasthan Department /any other company in relation to the work. In case of litigation with Devasthan Department or any other company, I/we hereby undertake that such litigation will not restrict any other execution of tendered work.  me/us in smooth execution of tendered work.
(2)	me/us in smooth execution of tendered work.  I / We have not been banned or suspended /de-listed by Devasthan Department.  I / We declare that I/We have not mentioned any exception /deviation of the tender.  I / We declare that I/We have not mentioned any exception /deviation of the tender.
(3)	
(4)	conditions anywhere else in our offer & conditions are attached to it. Even I / We declare that price bid is in prescribed & no conditions are attached to it. Even if any conditions /s found, those would be ignored at the risk & cost of us.  That we are registered under MSMED act & the registration number of the firm
(5)	That we are registered under the convencioned.
	That we are not registered under MSMED act.
(6)	I/We do hereby declare that I/We have fully read and understeen contract contents of all the terms and conditions of this contract, nature, quantum, contract contents of all the terms and conditions of this contents and all terms conditions of this period and scope of work of the tender document and all terms conditions of this
(7)	n teathan Hallsparon walls and well Ul
(8)	GST and an returns
	ture of Tenderer (s)
(Auth	orised Signatory)
With	scalPlace:Date: